This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
https://rajpatra.hp.gov.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 19 मार्च, 2026 / 28 फाल्गुन, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, 19th January, 2026

No.HHC/Admn.6(23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H. P. Financial Rules, 2009 has been pleased to

declare Sr. Civil Judge-*cum*-CJM, Chamba, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, In respect of the Courts of Civil Judge-*cum*-JMFC, Chamba and Mobile Traffic Magistrate, Chamba and also the Controlling Officer for the purpose of salary. T.A. etc. in respect of establishments attached to the aforesaid Courts *w.e.f.* 19-01-2026 to 01-02-2026.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, 19th January, 2026

No. HHC/Admn. 6(23)/74-XVII.— Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge-*cum*-JMFC, Chamba, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Courts of District & Sessions Judge/ Additional District & Sessions Judge, Chamba and Sr. Civil Judge-*cum*-CJM, Chamba and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishments attached to the aforesaid Courts *w.e.f.* 02-02-2026 to 10-02-2026 and *w.e.f.* 02-02-2026 to 15-02-2026, respectively.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, 19th January, 2026

No. HHC/Estt. 3(661)/2009.—11 days earned leave on and with effect from 21-01-2026 to 31-01-2026 with permission to suffix Sundays and Special Casual Leave 2 batch falling on and with effect from 01-02-2026 to 22-02-2026, is hereby sanctioned in favour of Smt. Reeta Goel, Court Master of this Registry.

Certified that Smt. Reeta Goel, is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Reeta Goel, would have continued to officiate the same post of Court Master but for her proceeding on leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, 13th January, 2026

No.HHC/Admn.6(24)74-XI-part.—Hon'ble the High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in it under Section 8(3) of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and Section 9(3) of the Code of Criminal Procedure, is pleased to confer the powers of the Additional District & Sessions Judge upon Chairman-*cum*-Member, H.P Transport Appellate Tribunal, Hamirpur.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, 19th January, 2026

No.HHC/GAZ/10-62/2018.—Hon'ble the High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested U/S 10(2) of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023, has been pleased to declare the Civil Judge-*cum*-JMFC, Chamba as Additional Chief Judicial Magistrate, Chamba authorizing him to look after the urgent work pertaining to the Courts of District & Sessions Judge, Chamba, Additional District & Sessions Judge, Chamba and Sr. Civil Judge-*cum*-CJM, Chamba *w.e.f.* 02-02-2026 to 10-02-2026 & *w.e.f.* 12-02-2026 to 15-02-2026.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, 20th January, 2026

No.HHC/GAZ/14-395/2019.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 11 days earned leave *w.e.f.* 23-01-2026 to 02-02-2026 in favour of Sh. Manu Prinja, Civil Judge-*cum*-JMFC, Barsar, H.P. Certified that Sh. Manu Prinja is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Manu Prinja would have continued to hold the post of Civil Judge-*cum*-JMFC, Barsar, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, 20th January, 2026

No.HHC/Admn.6(23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge-*cum*-JMFC-III, Hamirpur and Sr. Civil Judge-*cum*-ACJM. Hamirpur as Drawing and Disbursing Officer(s), in respect of the Court of Civil Judge-*cum*-JMFC, Barsar, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of salary. T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court during the earned leave period of Sh. Manu Prinja, Civil Judge-*cum*-JMFC, Barsar *w.e.f.* 22-01-2026 (evening) till 30-01-2026 (evening) and *w.e.f.* 30-01-2026 (evening) till 03-02-2026 (morning), respectively.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, 21st January, 2026

No.HHC/Admin.6 (23)/74-XVIII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Sr. Civil Judge-*cum*-CJM, Shimla, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Courts of District and Sessions Judge, Shimla; District and Sessions Judge (Forests). Shimla, Principal Judge, Family Court, Shimla. Additional District and Sessions Judges-1 & II. Shimla, Additional District and Sessions Judge. CBI Court, Shimla and Additional District and Sessions Judge. Fast Track Special Court (Rape & POCSO), Shimla and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishments attached to the aforesaid Courts *w.e.f.* 24-01-2026 to 01-02-2026.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, 21st January, 2026

No.HHC/Admn.6 (23)/74-XVIII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Sr. Civil Judge-*cum*-ACJM. Rohru, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of Additional District and Sessions Judge. Rohru and also the Controlling Officer for the purpose of salary. T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court *w.e.f.* 19-01-2026 to 01-02-2026.

By order,

Sd/-
Registrar General.

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश
STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH

आर्मसडेल ,शिमला–171002 Armsdale, Shimla-171002 Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Email:secysec-hp@nic.in

NOTIFICATION

Dated, the 18th March, 2026

No. SEC(F)1-40/2023-Vol-II-7151.—Whereas the State Election Commission had issued a programme for the updation of electoral rolls *vide* Notification No. SEC(F)1-40/2023-Vol-I, dated 01-10-2025 wherein qualifying date was fixed as 01-10-2025;

And, whereas general elections to Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies could not be conducted before the expiry of the term of these institutions due to unavoidable reasons. Now, as per direction of the Hon'ble Apex court, the elections to the local bodies are to be completed by 31st May, 2026;

Whereas, the Commission is of the considered view that in the interim period, several people would have become eligible to be registered as voters, therefore in the interest of larger participation, to ensure that maximum eligible persons participate in the grass root level democratic process, the Commission in exercise of the powers vested in it under Rule 14 (e) of the H.P. Panchayati Raj (Elections) Rules, 1994, Rule 17 (a) of the H.P. Municipal Election Rules, 2015 and Rule 16 (e) of the HP Municipal Corporation Election Rules, 2012 hereby notifies **01-04-2026** as qualifying date for an eligible person to be registered in the electoral rolls as elector.

Further, the State Election Commission in exercise of the powers vested in it under Article 243K and 243ZA of the Constitution of India, Section 160 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994, Section 281 of the HP Municipal Act, 1994 and Section 9 of the HP Municipal Corporation Act, 1994 read with Rule 22 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Elections) Rules, 1994, Rule 26 of the HP Municipal Election Rules, 2015 and Rule 24 of the HP Municipal Corporation Election Rules, 2012 hereby directs a special revision of electoral rolls of those Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies which were not impacted by **creation/re-**

organisation/bifurcation and whose final electoral rolls have already been published on Form-15 and Form-17. The addition/deletion/correction shall be undertaken by preparing supplementary electoral rolls. **This programme shall not be applicable to those Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies which are involved in creation/re-organisation/bifurcation.** The programme for special revision is as under:—

1.	Filing of claims and objections before the Revising Authority.	Up to 28-03-2026
2.	Disposal of claims and objections by the Revising Authority.	Up to 02-04-2026
3.	Filing of Appeals before the Appellate Authority.	Up to 10-04-2026
4.	Disposal of Appeals by the Appellate Authority.	Up to 17-04-2026
5.	Final publication of electoral rolls	On or before 20-04-2026

After the disposal of claims, objections and appeals, if any, District Election Officer (P) and Electoral Registration Officers, the case may be, shall finalize the supplementary electoral rolls through ERMS Software. The finalized supplementary electoral rolls shall be uploaded on the official website of the State Election Commission.

Thereafter, adequate copies of the Supplementary List, shall be printed locally after completing all the codal formalities. These Supplementary Lists shall be added to the main electoral rolls. The last finally published electoral rolls alongwith Supplementary List, if any, shall be used in the ensuing general elections.

The relevant provisions enshrined under concerned statutes shall be adhered to strictly for the preparation of supplementary electoral rolls through special revision. Needless to say that the aforesaid programme should be implemented in letter and spirit. If any violation of this programme is noticed, it will be in contravention of the mandate of the Constitution of India and relevant statutory provisions, which may lead to serious consequences for the officers/officials concerned.

By order,
Sd/-
(ANIL KHACHI),
State Election Commissioner (H.P.).

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 28 फरवरी, 2026

संख्याः पीसीएच-एचए (1)3/2024- 6912.—क्योंकि विभाग में जिला चंबा के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन / स्थापना करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला चंबा के निम्न अनुसूची में वर्णित वर्तमान ग्राम सभा का विभाजन/पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित करने और उपायुक्त जिला चंबा को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि इस सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति / सुझाव प्रस्तुत करना हो तो, वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से तीन (3) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला चंबा, को प्रस्तुत कर सकेंगें। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे,

राज्य सरकार, जिला चंबा, के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नई ग्राम सभाओं के गठन/स्थापना बारे अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त, जिला चंबा, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

अनुसूची

क्र० सं०	**वर्तमान ग्राम सभा का नाम**	**कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम**	**नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम**	**कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम**	**कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम**	**विवरण**
1	2	3	4	5	6	7
1 विकास खंड मैहला						
1.	किलोड़	1. किलोड़ 2. सेरी **3. कलमला**	कलमला	1. कलमला	कोष्ट संख्या 5 में वर्णित ग्रामो को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा किलोड़ में रहेंगे।	
2.	राड़ी	1. भटवाडा 2. बक्कल 3. मौखरी 4. राड़ी	भटवाडा	1. भटवाडा 2. बक्कल	कोष्ट संख्या 5 में वर्णित ग्रामो को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा राड़ी में रहेंगे।	

आदेश द्वारा,

सचिव (पंचायती राज) ।

पंचायती राज विभाग

शुद्धि-पत्र

शिमला-171 009, 3 मार्च, 2026

संख्याः पीसीएच-एचए (1)3/2024-11001-11004.—इस विभाग की जिला हमीरपुर की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-02-2026 में दर्शाई गई अनुसूची के क्रम संख्या 2 पर अंकित जिला हमीरपुर की ग्राम पंचायत धमरोल से प्रस्तावित नई ग्राम सभा को निम्न प्रकार से पढ़ा जाए : —

अनुसूची

क्र० सं०	**वर्तमान ग्राम सभा का नाम**	**कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम**	**नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम**	**कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम**	**कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम**	**विवरण**
1	2	3	4	5	6	7
विकास खंडभोरंज						
2.	धमरोल	**1. धमरोल** गाँव के	ककरोहल	1. धमरोल गाँव के	ग्राम सभा धमरोल	

		वार्ड न० 3 से 8 का क्षेत्र 2. नाल्टू 3. मनोह 4. अयान्वी		उप-गाँव जोल व दर के वार्ड न० 7, कोटा व सरसोली 8 का क्षेत्र। 2. ककरोहल	के कोष्ट संख्या 5 में वर्णित ग्रामो को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा धमरोल में रहेंगे।	
3.	गरसाहड़	1. गरसाहड़ **ककरोहल**			ग्राम सभा गरसाहड़ के कोष्ट संख्या 5 में वर्णित ग्रामो को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा गरसाहड़ में रहेंगे।	

आदेश द्वारा,

सचिव (पंचायती राज) ।

पंचायती राज विभाग

शुद्धिपत्र

शिमला-171 009, 2 मार्च, 2026

संख्याः पीसीएच-एचए (1)3/2024- 10946-50.—इस विभाग की जिला ऊना की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-02-2026 में दर्शाई गई अनुसूची के क्रम संख्या 6 पर अंकित जिला ऊना की ग्राम पंचायत अम्बोटा से प्रस्तावित नई ग्राम सभा (ओं) को निम्न प्रकार से पढ़ा जाए :

अनुसूची

क्र० सं०	**वर्तमान ग्राम सभा का नाम**	**कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम**	**नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम**	**कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम**	**कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम**	**विवरण**
1	2	3	4	5	6	7
विकास खंड गररेट						
6.	अम्बोटा	1. अम्बोटा **2. जन्दवड़** **3. चतेहड़ वूहल** **4. ढवाली** **5. शिववाड़ी**	शिववाड़ी	1. जन्दवड़ 2. शिववाड़ी	ग्राम सभा अम्बोटा के कोष्ट संख्या 5 में वर्णित ग्रामो को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा अम्बोटा में रहेंगे।	
			चतेहड़	1. चतेहड़ वूहल 2. ढवाली	ग्राम सभा अम्बोटा के कोष्ट संख्या 5 में वर्णित ग्रामो को छोड़कर अन्य	

					सभी ग्राम, ग्राम सभा अम्बोटा में रहेंगे।	

आदेश द्वारा,

सचिव (पंचायती राज) ।

———————

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला -171 009, 28 फरवरी, 2026

संख्याः पीसीएच-एचए (1)3/2024- 7066-70.—क्योंकि विभाग में जिला काँगड़ा के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन / स्थापना करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला काँगड़ा के निम्न अनुसूची में वर्णित वर्तमान ग्राम सभा का विभाजन/पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित करने और उपायुक्त जिला काँगड़ा को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि इस सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो, वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से तीन (3) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला काँगड़ा, को प्रस्तुत कर सकेंगें। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे,

राज्य सरकार, जिला काँगड़ा, के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नई ग्राम सभाओं के गठन/स्थापना बारे अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त जिला काँगड़ा , की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

अनुसूची

क्र० सं०	**वर्तमान ग्राम सभा का नाम**	**कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम**	**नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम**	**कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम**	**कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम**	**विवरण**
1	2	3	4	5	6	7
1 विकास खंड सुराणी						
1.	घलौर	1. अपर घलौर **2. कुम्बकर** **3. कसेटी** 4. खास घलौर **5. चुरढ्ढ** 6. दरोली **7. पलाही** **8. बल्लिया** 9. बहन्कला **10. रजोल पलाही**	रोहाडा	1. कुम्बकर 2. कसेटी 3. चुरढ्ढ 4. पलाही 5. बल्लिया 6. रजोल पलाही 7. रोहाडा	कोष्ट संख्या 5 में वर्णित ग्रामो को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा घलौर में रहेंगे।	

		11. रोहाडा 12. सासन				

आदेश द्वारा,

सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला -171 009, 28 फरवरी, 2026

संख्याः पीसीएच-एचए (1)3/2024- 7079.—क्योंकि विभाग में जिला ऊना के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन / स्थापना करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला ऊना के निम्न अनुसूची में वर्णित वर्तमान ग्राम सभा का विभाजन/पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित करने और उपायुक्त जिला ऊना को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि इस सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो, वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से तीन (3) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला ऊना, को प्रस्तुत कर सकेंगें। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे,

राज्य सरकार, जिला ऊना, के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नई ग्राम सभाओं के गठन / स्थापना बारे अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त जिला ऊना, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

अनुसूची

क्र० सं०	**वर्तमान ग्राम सभा का नाम**	**कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम**	**नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम**	**कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम**	**कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम**	**विवरण**
1	2	3	4	5	6	7
1.	**विकास खंड ऊना**					
1.	जनकौर	1. जनकौर खास 2. जनकौर हार 3. **बारसड़ा**	बारसड़ा	1. बारसड़ा	ग्राम सभा जनकौर के कोष्ट संख्या 5 में वर्णित ग्रामो को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा जनकौर में रहेंगे।	

आदेश द्वारा,

सचिव (पंचायती राज) ।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला -171 009, 28 फरवरी, 2026

संख्याः पीसीएच-एचए (1)3/2024-7077.—क्योंकि विभाग में जिला काँगड़ा के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन / स्थापना करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला काँगड़ा के निम्न अनुसूची में वर्णित वर्तमान ग्राम सभा का विभाजन/पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित करने और उपायुक्त, जिला काँगड़ा को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि इस सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो, वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से तीन (3) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला काँगड़ा, को प्रस्तुत कर सकेंगें। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे,

राज्य सरकार, जिला काँगड़ा, के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नई ग्राम सभाओं के गठन/स्थापना बारे अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त जिला काँगड़ा, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

अनुसूची

क्र० सं०	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1 विकास खंडपालमपुर						
1.	सुंगल	1. सुंगल 2. द्रमण **3. मट्ट** 4. ओडर	मट्ट	1. मट्ट	कोष्ट संख्या 5 में वर्णित ग्रामो को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा सुंगल में रहेंगे।	
2.	डाढ़ झिकला	1. डाढ़ झिकला 2. खटेहड़ **3. टम्बर**	टम्बर (मुख्यावास टम्बर)	1. डाढ़ झिकला (आंशिक) 2. टम्बर	कोष्ट संख्या 5 में वर्णित ग्रामो को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा डाढ़ झिकला में रहेंगे।	

आदेश द्वारा,

सचिव (पंचायती राज) ।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला -171 009, 28 फरवरी, 2026

संख्याः पीसीएच-एचए (1)3/2024- 7079.—क्योंकि विभाग में जिला ऊना के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला ऊना के निम्न अनुसूची में वर्णित वर्तमान ग्राम सभा का विभाजन/पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित करने और उपायुक्त, जिला ऊना को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि इस सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो, वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से तीन (3) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला ऊना, को प्रस्तुत कर सकेंगें। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे,

राज्य सरकार, जिला ऊना, के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नई ग्राम सभाओं के गठन / स्थापना बारे अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त जिला ऊना, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

अनुसूची

क्र० सं०	**वर्तमान ग्राम सभा का नाम**	**कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम**	**नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम**	**कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम**	**कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम**	**विवरण**
1	2	3	4	5	6	7
1. विकास खंड ऊना						
1.	जनकौर	1. जनकौर खास 2. जनकौर हार **3. बारसड़ा**	बारसड़ा	1. बारसड़ा	ग्राम सभा जनकौर के कोष्ट संख्या 5 में वर्णित ग्रामो को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा जनकौर में रहेंगे।	

आदेश द्वारा,

सचिव (पंचायती राज) ।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला -171 009, 28 फरवरी, 2026

संख्याः पीसीएच-एचए (1)3/2024-7042-49.—क्योंकि विभाग में जिला सिरमौर के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला सिरमौर के निम्न अनुसूची में वर्णित वर्तमान ग्राम सभा का विभाजन/पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित करने और उपायुक्त, जिला सिरमौर को, इस सम्बन्ध में सुझावों / आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि इस सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति / सुझाव प्रस्तुत करना हो तो, वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से तीन (3) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला सिरमौर, को प्रस्तुत कर सकेंगें। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे,

राज्य सरकार, जिला सिरमौर, के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नई ग्राम सभाओं के गठन/स्थापना बारे अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त जिला सिरमौर, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

अनुसूची

क्र० सं०	**वर्तमान ग्राम सभा का नाम**	**कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम**	**नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम**	**कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम**	**कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम**	**विवरण**
1	2	3	4	5	6	7
1 विकास खंड पच्छाद						
1.	द्राबली	1. भाज्जी 2. बनाड खलां 3. सरसू 4. सहरोज **5. लाना कसार** **6. चबेयोगा-मझेर** **7. नोम तोटू** 8. बाहनार 9. द्राबली 10. माहलाना	कोटला बरोग	1. लाना कसार 2. चबेयोगा-मझेर 3. नोम तोटू 4. कोटला बरोग 5. मोहन 6. बरियुडी 7. मरयोग	कोष्ट संख्या 5 में वर्णित ग्रामो को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा किलोड़ में रहेंगे।	
2.	दाडो देवरिया	1. रिवाडी मजीठी 2. चेवला बकानग **3. कोटला बरोग** **4. मोहन** **5. बरियुडी** **6. मरयोग** 7. दाडो देवरिया 8. भियुन्थ 9. थाना कावड़ी 10. सोहाला			कोष्ट संख्या 5 में वर्णित ग्रामो को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा दाडो देवरिया में रहेंगे।	

आदेश द्वारा,
सचिव (पंचायती राज) ।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला -171 009, 28 फरवरी, 2026

संख्याः पीसीएच-एचए (1)3/2024- 7076.—क्योंकि विभाग में जिला काँगड़ा के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला काँगड़ा के निम्न अनुसूची में वर्णित वर्तमान ग्राम सभा का विभाजन/पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित करने और उपायुक्त, जिला काँगड़ा को, इस सम्बन्ध में सुझावों / आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि इस सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति / सुझाव प्रस्तुत करना हो तो, वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से तीन (3) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला काँगड़ा, को प्रस्तुत कर सकेंगें। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे,

राज्य सरकार, जिला काँगड़ा, के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नई ग्राम सभाओं के गठन/स्थापना बारे अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त जिला काँगड़ा, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

अनुसूची

क्र० सं०	**वर्तमान ग्राम सभा का नाम**	**कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम**	**नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम**	**कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम**	**कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम**	**विवरण**
1	2	3	4	5	6	7
1. विकास खंड रैत						
1.	कनोल	1. लग 2. कनोल 3. लाहडी 4. सल्ली	सल्ली	1. सल्ली	कोष्ट संख्या 5 में वर्णित ग्रामो को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा कनोल में रहेंगे।	
2.	रेहलू	1. रेहलू खास 2. नागन 3. रनेहड़ खास 4. सकोऊ	सकोऊ	1. सकोऊ	कोष्ट संख्या 5 में वर्णित ग्रामो को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा डाढ़ रेहलू में रहेंगे।	
3.	प्रगोड़	1. नेरा 2. नगरोटा 3. प्रगोड़ खास 4. चकबन प्रगोड़ 5. बरेटा 6 . कलरू 7. चकबन कलरू 8. ठेहड़ **9. लपियाना** **10. गुब्बर** **11. मकरेड़** 12. सरदवाल	गुब्बर	1. लपियाना 2. गुब्बर 3. मकरेड़		
2. विकास खंड प्रागपुर						
4.	बणी	**1. बन सदवां** 2. डांगड़ा 3. ढोलू बड	सदवां	1. बन सदवां 2. सदवां रिज़र्व बन सदवां	कोष्ट संख्या 5 में वर्णित ग्रामो को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम	

		4. मैरा 5. नधूं 6. रिज़र्व जंगल डांगड़ा **7. सदवां** 8. मट उमरां 9. बणी **रिज़र्व बन सदवां**			सभा बणी में रहेंगे।	

आदेश द्वारा,

सचिव (पंचायती राज)।

———————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी चढ़ियार
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 81207 / 2026 किस्म दावा : नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 27–03–2026

श्री राजवंत सिंह राणा पुत्र चूहा राम राणा, निवासी महाल ठेहड़ उपरली, उप–तहसील चढ़ियार, जिला कांगडा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.–– नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

प्रार्थी ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र द्वारा सूचित किया है कि उसका असल नाम राजवंत सिंह राणा व उसके पिता का असल नाम चूहा राम राणा है। उनके अन्य अभिलेख में भी इसी नाम से प्रविष्टि दर्ज है जबकि महाल ठेहड़ उपरली पटवार वृत्त कुडंग के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम राजवंत सिंह व प्रार्थी के पिता का नाम चूहा राम दर्ज है जोकि गलत है। अतः प्रार्थी महाल ठेहड़ उपरली पटवार वृत्त कुडंग के राजस्व रिकार्ड में अपने व् अपने पिता के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः इस मुस्त्री मुनादी चस्पानगी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त व्यक्ति के नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 27–03–2026 को असालतन व वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 05–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी चढ़ियार
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 27–03–2026

श्रीमती शांता मिन्हास विधवा ध्यान सिंह, निवासी महाल मत्याल कलां, उप–तहसील चढ़ियार, जिला कांगडा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.––नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

श्रीमती शांता मिन्हास विधवा ध्यान सिंह ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र द्वारा सूचित किया है कि उसका असल नाम शांता मिन्हास है। उनके अन्य अभिलेख में भी इसी नाम से प्रविष्टि दर्ज है। जबकि महाल मत्याल कलां, मत्याल खुर्द रूपेहड़ व खूह पटवार वृत्त रूपेहड़ के राजस्व अभिलेख में प्रार्थिया का नाम शांता देवी दर्ज है जोकि गलत है। अतः प्रार्थिया उपरोक्त वर्णित महालों के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहती है।

अतः इस मुस्त्री मुनादी चस्पानगी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त व्यक्ति के नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 27–03–2026 को असालतन व वकालतन इस कार्यालय मे हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 05–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

––––––––

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 814460 / 2026 तारीख पेशी : 02–04–2026

बाल सिंह पुत्र गोपाला, निवासी महाल रामनगर मौजा थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा :–– नाम दुरुस्ती

प्रार्थी बाल सिंह पुत्र गोपाला, निवासी महाल रामनगर मौजा थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने स्वयं मय कौंसल प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त वारकलां के राजस्व महाल रामनगर तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम वाली दर्ज हो गया है जबिक आधार कार्ड, विद्यालय त्याग के प्रमाण–पत्र व परिवार रजिस्टर नकल में उसका नाम बाल सिंह दर्ज है। दो अलग–अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम बाल सिंह उपनाम वाली दर्ज किया जाये।

अतः सर्व साधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुन्यादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 02–04–2026 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेर समायत न होगा तथा प्रार्थी बाल सिंह पुत्र गोपाला, निवासी महाल रामनगर मौजा थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 में उसका नाम राजस्व पटवार वृत्त वारकलां के राजस्व महाल रामनगर के राजस्व अभिलेख में बाल सिंह उपनाम वाली दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 814463 / 2026 तारीख पेशी : 02–04–2026

विजय सिंह पुत्र जगत राम, निवासी महाल गदियाड़ा, डाकघर घरना, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

उनुवान मुकद्दमा :–– नाम दुरुस्ती

प्रार्थी विजय सिंह पुत्र जगत राम, निवासी महाल गदियाड़ा, डाकघर घरना, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त बड़ोगलाहड़ के राजस्व महाल गदियाड़ा तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम विजय कुमार दर्ज हो गया है जबिक आधार कार्ड, पैन कार्ड, दसवीं कक्षा के प्रमाण–पत्र व परिवार रजिस्टर नकल में उसका नाम विजय सिंह दर्ज हैए जोकि उसका सही नाम है। दो अलग–अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम विजय सिंह उपनाम विजय कुमार दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 02–04–2026 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेर समायत न होगा तथा प्रार्थी विजय सिंह पुत्र जगत राम, निवासी महाल गदियाड़ा, डाकघर घरना, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 में उसका नाम राजस्व पटवार वृत्त बड़ोगलाहड़ के राजस्व महाल गदियाड़ा के राजस्व अभिलेख में विजय सिंह उपनाम विजय कुमार दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 814462 / 2026 तारीख पेशी : 02–04–2026

प्यार सिंह पुत्र तीडू राम, निवासी महाल कुटाहण, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा :–– नाम दुरुस्ती

प्रार्थी प्यारे सिंह पुत्र तीडू राम, निवासी महाल कुटाहण, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त अम्वाड़ा के राजस्व महाल कुटाहण तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम प्यार चन्द दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, आठवी कक्षा के प्रमाण–पत्र व परिवार रजिस्टर नकल में उसका नाम प्यार सिंह दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। दो अलग–अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम प्यार सिंह उपनाम प्यार चन्द दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुन्यादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 02–04–2026 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेर समायत न होगा तथा प्रार्थी प्यार सिंह पुत्र तीडू राम, निवासी महाल कुटाहण, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 में उसका नाम राजस्व पटवार वृत्त अम्वाड़ा के राजस्व महाल कुटाहण के राजस्व अभिलेख में प्यार सिंह उपनाम प्यार चन्द दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

In the court of Naib Tehsildar-*cum*-Executive Magistrate, Raja Ka Talab, Distt. Kangra (H.P.)

File No. /NTEH/2026 Date of Institution : 09-02-2026
Case Titled : Registration of Birth

Sushma Rana d/o Sh. Jhanda singh, r/o V.P.O. Rehan, Sub-Tehsil Raja Ka Talab, Distt. Kangra (H.P.).

Versus

General Public

Whereas Sushma Rana d/o Sh. Jhanda singh, r/o V.P.O. Rehan, Sub-Tehsil Raja Ka Talab, Distt. Kangra (H.P.) has filed an application before the undersigned that her date of Birth of is 12-01-1967 but due to ignorance and lack of knowledge it has not been entered in the concerned Gram Panchayat register. She has further stated that she has wants to get it registered in gram Panchayat Sub-Tehsil Raja Ka Talab.

The applicant has attached non-availability certificate, recommendation of chief Registrar (Birth & Death)-*cum*-Director Health Services Himachal Pradesh Shimla-9, affidavit of two witnesses namely Smt. Kunj Devi w/o Late Sh. Nikka Singh/ r/o V.P.O. Rehan, Sub-Tehsil Raja Ka Talab, Distt. Kangra (H.P.) & Sh. Shanti Pathania w/o Late Sh. Karam Singh/ r/o V.P.O. Rehan, Sub-Tehsil Raja Ka Talab, Distt. Kangra (H.P.) have been attached in support of his claim.

Now, therefore, in pursuance of section 13(3) of the Registration of Birth & Death Act, 1969 a proclamation to all general public concerned is hereby issued that objections in this regard i.e. to enter the date of birth of Sushma Rana d/o Jhanda Singh shall be heard by the undersigned on 23-03-2026 in his court at Raja Ka Talab. Anyone having any objections in the matter may do so on the said date and place in person or through legal practitioner or his/her recognised agent. In case non-appearence, the proceedings will continue *ex-parte* and necessary action in this matter will be taken accordingly as per law.

Given under my hand and seal of the court on 09-02-2026

Seal. Sd/-
Naib Tehsildar-cum-*Executive Magistrate,*
Raja Ka Talab, Distt. Kangra (H.P.).

In the Court of Dr. Ganesh Thakur, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Shahpur, Distt. Kangra (H.P.)

1. Sh. Anuj Chauhan s/o Harnam, Vill. Churtha, P.O. Nerti, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).

2. Smt. Sakshi d/o Ram Singh, Village Mashroha Tipra (63), Shimla H.P-171211 (H.P.)
..Applicants.

Versus

1. General Public.
2. Local Registrar, Gram Panchyat Nerti. *..Respondents.*

Subject.—Application for the Marriage Registration u/s 16 of Special Marriage Act, 1954.

Applicants Sh. Anuj Chauhan s/o Harnam, Vill. Churtha, P.O. Nerti, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.) and Smt. Sakshi d/o Ram Singh, Village Mashroha Tipra (63), Shimla H.P-171211 (H.P.) has filed an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith declaration in which they have stated that they have solemnized their marriage on 28-10-2025 at Vill. Churtha, P.O. Nerti, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.) as per Hindu rites & customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file the ojection personally or in writing before this court on or before 09-04-2026. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Seal. Sd/-
(DR. GANESH THAKUR),
Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, हंगरंग स्थित यंगथंग, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

श्री रिंगजिन छोडुप पुत्र स्व0 श्री छोला, गांव मालिंग, डा0 नाको, उप–तहसील हंगरंग, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.––दुरुस्ती नाम रिकार्ड राजस्व उप–तहसील हंगरंग स्थित यंगथंग, जिला किन्नौर, हि0प्र0।

प्रार्थी श्री रिंगजिन छोडुप पुत्र स्व0 श्री छोला, गांव मालिंग, डा0 नाको, उप–तहसील हंगरंग, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में राजस्व माल कागजात में नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना–पत्र गुजारा है जिसमें प्रार्थी ने स्पष्ट किया है कि समस्त उप–महालों के राजस्व माल कागजात में उसके नाम का प्रविष्टि रिंगजिन छोडुप पुत्र स्व0 श्री छोला दर्ज हुआ है। जो कि गलत है। प्रार्थी का असल नाम श्री रिंगजिन छोडुप पुत्र स्व0 श्री छोला है जोकि सही एवं दुरुस्त है। प्रार्थी ने पुष्टि में ब्यान हल्फी, नकल परिवार रजिस्टर, नकल जमाबन्दी तथा आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की है।

अतः इश्तहार द्वारा आम जनता को इस बारे सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम श्री रिंगजिन छोडुप पुत्र स्व0 श्री छोला, निवासी गांव मालिंग, उप–तहसील हंगरंग, जिला किन्नौर, हि0प्र0 के राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे किसी भी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह अपना उजर/एतराज अधोहस्ताक्षरी की अदालत मुकाम यंगथंग में दिनांक 31–03–2026 को प्रातः 10.00 बजे अपना उजर/एतराज असालतन व वकालतन पेश कर सकता है। उजर/एतराज न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 12–03–2026 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील हंगरंग स्थित यंगथंग।

––––––––––

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : /2026

श्री दीपचंद पुत्र मंसाराम, निवासी सालवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री दीपचंद पुत्र मंसाराम, निवासी सालवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू–एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिज/2025–13374, दिनांक 27–01–2026 द्वारा अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 13–07–1966 जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत डोबरी सालवाला के जन्मतिथि अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 03–04–2026 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर

अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर / एतराज दर्ज करवा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्री दीपचंद पुत्र मंसाराम, निवासी सालवाला की जन्मतिथि 13–07–1966 है को तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 03–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : / 2026

श्री इमरान खान पुत्र मतलूब, निवासी किरतपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री इमरान खान पुत्र मतलूब, निवासी किरतपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु / मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू–एन / एसटी / बीएण्डडी / डिलेय केसिज / 2025–14837, दिनांक 25–02–2026 द्वारा अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 05–01–1992 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत पिपलीवाला के जन्मतिथि अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 06–04–2026 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर / एतराज दर्ज करवा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्री इमरान खान पुत्र मतलूब, निवासी किरतपुर की जन्मतिथि 05–01–1992 को तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 06–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), उप–तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 80957 / NTBC / 2026 किस्म दावा : नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 09–04–2026

अब्दूल हमीद

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा में प्रार्थी अब्दूल हमीद पुत्र बारू ने एक प्रार्थना–पत्र बराए नाम दुरुस्ती इस न्यायालय में दायर किया है जिसमें उसने अपना नाम अब्दूल हमीद पुत्र बारू, वासी महाल कोलका, उप–तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) बताया है जबकि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल कोलका, जमाबन्दी वर्ष 2023–2024 के अनुसार महीदो दर्ज है। प्रार्थी अपना नाम महीदो की बजाए महीदो उपनाम अब्दूल हमीद, करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल कोलका, उप–तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) में इस नाम दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति / एतराज हो तो वह निर्धारित पेशी दिनांक 09–04–2026 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज न प्राप्त होने की सूरत में हस्ब जाबता कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निर्णय कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 10–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग),
उप–तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0)।

––––––––

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Sh. Yaseen Mohammad age 32 years s/o Sh. Safi Mohammad, r/o Village Nanawin, P.O. Malangar, Tehsil Bangana, District Una (H.P.).

2. Shehnaj Akhtar age 22 years d/o Sh. Ramjan Mohammad, r/o Village Chowki Kalan, P.O. Bane Di Hatti, Tehsil Dehra, District Kangra (H.P.) . . *Applicants*.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.).

Sh. Yaseen Mohammad age 32 years s/o Sh. Safi Mohammad, r/o Village Nanawin, P.O. Malangar, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and Shehnaj Akhtar age 22 years d/o Sh. Ramjan Mohammad, r/o Village Chowki Kalan, P.O. Bane Di Hatti, Tehsil Dehra, District Kangra (H.P.) at present wife of Sh. Yaseen Mohammad s/o Sh. Safi Mohammad, r/o Village Nanawin, P.O. Malangar, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 17-12-2025 at Masjid Umar Sidhchalehar Amb, Tehsil Amb, District Una (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under section 15 of the Special Marriage Act, 1954. Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 10-04-2026 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 6th March, 2026 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Bangana, District Una, Himachal Pradesh.

CORRECTION OF NAME

I, Shabnam w/o Sh. Manjeet Singh, r/o Village Rundega, Post Office Kathana, Tehsil & District Chamba (H.P.) declare that in Aadhar Card of my minor son having number 6482 6643 4508, his name is wrongly entered as Baby Two of Shabnam. Whereas, his correct name is Shivansh Thakur. All concerned please note.

SHABNAM
w/o Sh. Manjeet Singh,
r/o Village Rundega, Post Office Kathana,
Tehsil & District Chamba (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Desh Raj s/o Sh. Bhindro, r/o Village Tutti, Post Office Palwin, Tehsil & District Chamba (H.P.) declare that in Aadhar Card of my minor daughter having number 9343 9926 3794, her name is wrongly entered as Dolly. Whereas, her correct name is Doli. All concerned please note.

DESH RAJ
s/o Sh. Bhindro,
r/o Village Tutti, Post Office Palwin,
Tehsil & District Chamba (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Jyoti Devi d/o Sh. Kartar Singh, r/o Village Gadyana, P.O. Paploa, Tehsil Jhandutta, Distt. Bilaspur (H.P.) declare that I have changed my name from Sarswati Devi to Jyoti Devi. All concerned please note.

JYOTI DEVI
d/o Sh. Kartar Singh,
r/o Village Gadyana, P.O. Paploa,
Tehsil Jhandutta, Distt. Bilaspur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Data Ram s/o Sh. Atma Ram, r/o Village Bokala, Post Office Shilla, Tehsil Kamrau, District Sirmaur (H.P.) Aadhar Card No. 9085 3935 8482, declare that I have changed my daughter's name in the Aadhar Card of my ward Miss Dikshita Sharma, the spelling of my ward in English Language has been entered as Dikshita as well as Dixita. Please correct this.

DATA RAM
s/o Sh. Atma Ram,
r/o Village Bokala, Post Office Shilla,
Tehsil Kamrau, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Savitran Devi w/o Sh. Dhian Chand, r/o Village Kuthiana, P.O. Dangri, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Savitri Devi to Savitran Devi for all purposes in future. All concerned please note.

SAVITRAN DEVI
w/o Sh. Dhian Chand,
r/o Village Kuthiana, P.O. Dangri,
Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Pirthu (UIN- 2267 0738 6111) s/o Sh. Roop Singh, r/o Village Dhar Taran, P.O. & Tehsil Dadahu, District Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my name from Pirthu to PRITHVI SINGH due to variation of my name in my Aadhar Card. All concerned please note.

PIRTHU
s*/o Sh. Roop Singh,*
r/o Village Dhar Taran, P.O. & Tehsil Dadahu,
District Sirmaur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Uma Devi w/o Sh. Lucky, r/o Village Baili, Post Office Bhadian, Tehsil & District Chamba (H.P.) declare that in Aadhar Card of my minor daughter having number 7962 3839 5036 her name is wrongly entered as Baby one of Uma. Whereas, her correct name is Kaira. All concerned please note.

UMA DEVI
w/o Sh. Lucky,
r/o Village Baili, Post Office Bhadian,
Tehsil & District Chamba (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Rakesh Kumar s/o Sh. Ram Nath, r/o Village Hawani, P.O. Tikkari, Tehsil Baldwara, Distt. Mandi (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Parwesh to Parmesh Thakur. All concerned please note.

RAKESH KUMAR
s/o Sh. Ram Nath,
r/o Village Hawani, P.O. Tikkari,
Tehsil Baldwara, Distt. Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Vinta Kumari w/o Sh. Naresh Kumar, r/o Village Lathiyana, P.O. Jaamu, Tehsil Dadahu, District Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my name from Reena Kumari to Vinta Kumari for all purposes in future. All concerned please note.

VINTA KUMARI
w/o Sh. Naresh Kumar,
r/o Village Lathiyana, P.O. Jaamu,
Tehsil Dadahu, District Sirmaur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Desh Raj s/o Sh. Bhindro, r/o Village Tutti, Post Office Palwin, Tehsil & District Chamba (H.P.) declare that in Aadhar Card of my minor daughter having number 8321 6073 1846, her name is wrongly entered as Ariti. Whereas, her correct name is Aarti. All concerned please note.

DESH RAJ
s/o Sh. Bhindro,
r/o Village Tutti, Post Office Palwin,
Tehsil & District Chamba (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Sanket Kumar aged about 36 years s/o Sh. Shyam Sunder, r/o Village Kangar Dharyar, Post Office Bag Pashog, Tehsil Pachhad, District Sirmaur (H.P.) declare that the actual spelling of my daughter's name is Srishti Sharma, but in her Aadhar Card Bearing No. 9864 1393 6975 there is shown as Shrishti Sharma. I want to change her name from Shrishti Sharma to Srishti Sharma. All concerned please note.

SANKET KUMAR
s/o Sh. Shyam Sunder,
r/o Village Kangar Dharyar, Post Office Bag Pashog,
Tehsil Pachhad, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Ujjal Singh s/o Sh. Gitu Ram, r/o Village Tikri Khas, P.O. Tikri, Tehsil Sihunta, Distt. Chamba (H.P.) declare that I have changed my name from Ujjawal Ram to Ujjal Singh. I shall be known as Ujjal Singh for all purposes in future. All concerned please note.

UJJAL SINGH
s/o Sh. Gitu Ram,
r/o Village Tikri Khas, P.O. Tikri,
Tehsil Sihunta, Distt. Chamba (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Prakash Devi w/o Sh. Pawan Kumar, r/o Village Swai, P.O. Garola, Tehsil Bharmour, Distt. Chamba (H.P.) declare that I have changed my name from Prakasho Devi to Prakash Devi. I shall be known as Prakash Devi for all purposes in future. All concerned please note.

PRAKASH DEVI
w/o Sh. Pawan Kumar,
r/o Village Swai, P.O. Garola,
Tehsil Bharmour, Distt. Chamba (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Aryan Kapoor s/o Sh. Sardari, r/o Village Manghiyana, P.O. Garnota, Tehsil Sihunta, Distt. Chamba (H.P.) declare that I have changed my name from Aryan to Aryan Kapoor. I shall be known as Aryan Kapoor for all purposes in future. All concerned please note.

ARYAN KAPOOR
s/o Sh. Sardari,
r/o Village Manghiyana, P.O. Garnota,
Tehsil Sihunta, Distt. Chamba (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Bhianu Devi w/o Sh. Seyanu, r/o Village Rashol, P.O. Kasol, Tehsil Jari, Distt. Kullu (H.P.) declare that I have changed my name from Bhiyan to Bhianu Devi for all purposes in future. All concerned please note.

BHIANU DEVI
w/o Sh. Seyanu,
r/o Village Rashol, P.O. Kasol,
Tehsil Jari, Distt. Kullu (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kushama Devi w/o Sh. Lal Singh, r/o Village Shalanu, P.O. & Tehsil Balichowki, Distt. Mandi (H.P.) declare that I have changed my son's name from Gavan Deep to Gagan Deep for all purposes in future. All concerned please note.

KUSHAMA DEVI
w/o Sh. Lal Singh,
r/o Village Shalanu, P.O. & Tehsil Balichowki,
Distt. Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Dole Ram s/o Sh. Sunder Lal, r/o Village Rashol, P.O. Kasol, Tehsil Jari, Distt. Kullu (H.P.) declare that I have changed my name from Dola Ram to Dole Ram for all purposes in future. All concerned please note.

DOLE RAM
s/o Sh. Sunder Lal,
r/o Village Rashol, P.O. Kasol,
Tehsil Jari, Distt. Kullu (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Girdu s/o Sh. Thunia aged about 51 years, r/o Village Raina, P.O. Preena (145), P.O. P reena, Distt. Chamba (H.P.)-176 311 hereby declare that I have changed my name from Giddu (Old Name) to Girdu (New Name). All concerned please may note.

GIRDU
s/o Sh. Thunia,
r/o Village Raina, P.O. Preena (145),
P.O. P reena, Distt. Chamba (H.P.)-176 311.

CORRECTION OF NAME

I, Hima Devi w/o Sh. Thakar Dass, r/o Village Basta, Pandoh (325), Post Office Pandoh, District Mandi (H.P.) declare that in my minor daughter's Aadhar Card No. 5294 4995 6727 her name is wrongly entered as Ravina. Whereas, her correct name is Ruveena. All concerned please note.

HIMA DEVI
w/o Sh. Thakar Dass,
r/o Village Basta, Pandoh (325),
Post Office Pandoh, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Salochna Devi w/o Sh. Sikender, r/o V.P.O. Khashdhar, Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.) declare that name of my daughter AVANI BHUSHAN is wrongly mentioned as ABENTKA in her Aadhar Card. Therefore it should be changed to AVANI BHUSHAN in her Aadhar Card. All concerned please note.

SALOCHNA DEVI
w/o Sh. Sikender,
r/o V.P.O. Khashdhar, Tehsil Chirgaon,
District Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Kunta Devi w/o Sh. Ghanshyam, r/o Village Bagi, P.O. Khalwan, Tehsil Balichowki, District Mandi (H.P.) declare that my name is wrongly entered as Kalu in my Aadhar Card. Now, I intend to correct my name as Kunta Devi in Aadhar Card. All concerned please note.

KUNTA DEVI
w/o Sh. Ghanshyam,
r/o Village Bagi, P.O. Khalwan,
Tehsil Balichowki, District Mandi (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Megh Singh s/o Sh. Diwan Chand, r/o Village Shawa, P.O. Baga Chanogi, Sub-Tehsil Bagachanogi, District Mandi (H.P.) declare that Bhopender Thakur is the son of deponent who is minor. That in all record the name of the minor son of the deponent is recorded as Bhopender Thakur but only in Aadhar card his name has been wrongly recorded as Bhopendar Singh. Name of the son of deponent, kindly be corrected as Bhopender Thakur. Please note it.

MEGH SINGH
s/o Sh. Diwan Chand,
r/o Village Shawa, P.O. Baga Chanogi,
Sub-Tehsil Bagachanogi, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Ganesh s/o Sh. Gomcho, r/o Village Randal, P.O. Jagatkhana, Tehsil Nirmand, District Kullu, Himachal Pradesh declare that my daughter's name is incorrectly listed as Ganesh on her Aadhar Card. Her correct name, according to her birth certificate is Roshani. Please correct the name as Roshani.

GANESH
s/o Sh. Gomcho,
r/o Village Randal, P.O. Jagatkhana,
Tehsil Nirmand, District Kullu, Himachal Pradesh.

CHANGE OF NAME

I, Moni Devi w/o Sh. Raj Kumar, r/o 428, Adarsh Colony, Rajban Sataun (18), Sirmaur, (H.P.) do hereby inform that my name is wrongly written as Mohini Devi in my Aadhar Card (6096 2385 9503), which should be corrected and written as Moni Devi.

MONI DEVI
w/o Sh. Raj Kumar,
r/o 428, Adarsh Colony,
Rajban Sataun (18), Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Nirmla Devi w/o Salo Ram, r/o Village Gabla Andrar, P.O. Sakout, Tehsil Nagrota Bagwan, Distt. Kangra (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name is wrongly entered as Mirmla Devi (मिर्मला देवी) instead of Nirmla Devi (निर्मला देवी). Both names are of one and same person. Concerned note it.

NIRMLA DEVI
w/o Salo Ram,
r/o Village Gabla Andrar,
P.O. Sakout, Tehsil Nagrota Bagwan,
Distt. Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kaushalya Devi, spouse of No. 13753614W Rank Ex. Hav. Jagdish Koushal, r/o Village & P.O. Mahadev, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.) declare that in my husband's army record my name is wrongly entered as Koushalya Devi. My actual name is Kaushalya Devi. Concerned please note.

KAUSHALYA DEVI,
w/o Jagdish Koushal,
r/o Village & P.O. Mahadev,
Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Bhima Devi aged 52 years w/o Madhu, r/o Vill. Sianji Kothi, P.O. Jai Devi, Tehsil Sunder Nagar, Distt. Mandi, Himachal Pradesh declare that in my Aadhar Card (7910 7826 9831) my name is recorded as Bheem. My real and actual name is Bhima Devi. All concerned please note.

BHIMA DEVI
w/o Madhu,
r/o Vill. Sianji Kothi, P.O. Jai Devi,
Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi, Himachal Pradesh.

CHANGE OF NAME

I, Komal d/o Mast Ram, V.P.O. Jugahan, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.) declare that I want to change my name from Komal Kumari to Komal in my Aadhar Card No. 9436 5289 8585 and all documents. All concerned please note.

KOMAL
d/o Mast Ram,
V.P.O. Jugahan, Tehsil Sundernagar,
Distt. Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Thakroo s/o Beli Ram, Post Office Bijani, Tehsil Sadar Maigal Mandi, Distt. Mandi (H.P.) declare that in my Aadhar No. 9422 7524 7334 my name as Thakar Dass is wrongly entered, correct name is Thakroo.

THAKROO
s/o Beli Ram,
Post Office Bijani,
Tehsil Sadar Maigal Mandi, Distt. Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Vijay Kumar (40 years) s/o Sh. Prakash Chand, r/o Village Lehar, Post Office Ansui, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.) declare that my daughter Aashvi was born on 09-07-2020. However, my daughter's name is not registered in the Aadhar Card. Therefore, my daughter's name should be registered as Aashvi in the Aadhar Card. All concerned please note.

VIJAY KUMAR
s/o Sh. Prakash Chand,
r/o Village Lehar, Post Office Ansui,
Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Vinod Kumar s/o Sh. Dharo Ram, r/o Village Bandla, P.O. Bandla, Tehsil and Distt. Chamba (H.P.) declare that in Aadhar Card of my minor daughter, having number 2368 9456 0697, her name is wrongly entered as Baby two of Bandu. Whereas her correct name is Chaitanya Thakur. All concerned please note.

VINOD KUMAR
s/o Sh. Dharo Ram,
r/o Village Bandla, P.O. Bandla,
Tehsil and Distt. Chamba (H.P.)

CHANGE OF NAME

I, Kumari Sarla Sethi w/o Sh. Inderjit Sethi, r/o Village Tang, P.O. Narwana, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Poonam Sethi to Kumari Sarla Sethi. All concerned please note.

KUMARI SARLA SETHI
w/o Sh. Inderjit Sethi,
r/o Village Tang, P.O. Narwana,
Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kirna Devi w/o Chet Ram, r/o Village Malohani, P.O. Pangna, Sub-Tehsil Pangna, Distt. Mandi (H.P.) declare that I have changed my name from Kiran Kumari to Kirna Devi. Concerned note.

KIRNA DEVI
w/o Chet Ram,
r/o Village Malohani, P.O. Pangna,
Sub-Tehsil Pangna, Distt. Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Pushpa Kumari d/o Hira Lal, Vill. Ranger, P.O. Seoh, Tehsil Dharampur, Distt. Mandi (H.P.) declare that I want to change my name from Sarla Devi to Pushpa Kumari in Aadhar Card No. 3914 1996 0556. All concerned please note.

PUSHPA KUMARI
d/o Hira Lal,
Vill Ranger, P.O. Seoh,
Tehsil Dharampur, Distt. Mandi (H.P.).

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश
STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH

आर्मसडेल, शिमला–171002 Armsdale, Shimla-171002 Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Email:secysec-hp@nic.in

NOTIFICATION

Dated, the 18th March, 2026

No. SEC-HP-F002(01)/2021-7385.—Whereas, the State Election Commission *vide* Notification No. SEC-HP-F002(01)/1/2021-6636, dated 02nd March, 2026 had finally published the delimitation of wards in respect of Municipal Corporation, Baddi, District Solan, H.P. in the Official Gazette;

And Whereas Department of Urban Development, Government of Himachal Pradesh in partial modification to the earlier Notifications dated 25-02-2026 and 27-02-2026 has included

certain areas in Municipal Corporation, Baddi, District Solan, Himachal Pradesh *vide* Notification No. UD-A(1)-2/2024-Part-I, dated 16-03-2026.

Consequently, the State Election Commission in exercise of the powers vested in it under Article 243ZA of the Constitution of India, Section 9 of the H.P. Municipal Corporation Act, 1994 read with Rule 9 of the H.P. Municipal Corporation Election Rules, 2012 hereby issues the following program for re-delimitation of wards in respect of Municipal Corporation, Baddi, District Solan, Himachal Pradesh:—

Sl. No.	Process	Date
1.	Publication of draft proposal for delimitation of wards.	20th March, 2026
2.	Submission of objections or suggestions by the residents of the Municipal area.	By 27th March, 2026
3.	Disposal of objections or suggestions by the Deputy Commissioners.	By 31st March, 2026
4.	Filing of appeals against the orders of the Deputy Commissioner before concerned Divisional Commissioners.	Within 7 days from the passing of the orders by the Deputy Commissioner
5.	Disposal of appeal by the Divisional Commissioner.	Upto 10th April, 2026
6.	Issue of final delimitation orders by the Deputy Commissioner.	On or before 13th April, 2026
7.	Reservation of seats shall be undertaken	By 16th April, 2026
8.	Submission of report of final reservation order by the Government to Commission.	16th April, 2026

If no objection is received or no appeal is filed within stipulated period, the concerned Deputy Commissioner may issue final de-limitation orders and start process for reservation of wards. After finalization of de-limitation and reservation of wards, order to this effect should immediately be sent to the Government by the Deputy Commissioner, Solan as required under Sub-Rule 11 of the Rule 10 of *ibid* Rules, so that the Government may provide a copy of the final reservation order to the Commission in accordance with Rule 11 of the Rules *ibid.*

By order,
Sd/-
(ANIL KUMAR KHACHI),
State Election Commissioner (H.P.).

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 19 मार्च, 2026

संख्या वि0स0–विधायी बजट / 1–6 / 2026.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम–140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 1) जो आज दिनांक 19 मार्च, 2026 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / –
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

––––––––––

2026 का विधेयक संख्यांक 1.

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2026

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम ।
2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2025–2026 के लिए ₹4,04,61,95,42,759 की और राशि जारी करना।
3. विनियोग ।

अनुसूची ।

––––––––––

2026 का विधेयक संख्यांक 1.

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2026

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय और धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम.**––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2026 है।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2025–2026 के लिए ₹4,04,61,95,42,759 की और राशि जारी करना.––हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के (तृतीय) स्तम्भ में विनिर्दिष्ट से अनधिक धनराशियां, जिनका योग केवल ₹4,04,61,95,42,759 (चालीस हजार चार सौ इकसठ करोड़ पचानवें लाख बयालीस हज़ार सात सौ उनसठ) है, संदत्त और उपयोजित की जाएं, जिनका वित्तीय वर्ष 2025–2026 की अवधि में अनुसूची के (द्वितीय) स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों से सम्बन्धित विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा।

3. विनियोग.––इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत धनराशियों का इस अधिनियम की धारा 2 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजन किया जाएगा।

————————

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

1	2		3		
मांग संख्या	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
			विधान सभा द्वारा दत्तमत ₹ में	संचित निधि पर प्रभारित ₹ में	कुल ₹ में
01	विधान सभा	(राजस्व)	10,61,94,000	1,50,61,337	12,12,55,337
		(पूंजीगत)	6,72,35,000	—	6,72,35,000
02	राज्यपाल तथा मन्त्री परिषद्	(राजस्व)	5,93,60,717	1,48,09,000	7,41,69,717
03	न्याय प्रशासन	(राजस्व)	16,01,01,671	7,84,91,675	23,85,93,346
		(पूंजीगत)	19,83,44,000	11,23,30,446	31,06,74,446
04	सामान्य प्रशासन	(राजस्व)	37,71,39,823	2,63,83,731	40,35,23,554
		(पूंजीगत)	1,65,00,68,000	10,26,00,000	1,75,26,68,000
05	भू–राजस्व और जिला प्रशासन	(राजस्व)	34,35,09,97,322	2,85,25,564	34,37,95,22,886
		(पूंजीगत)	9,68,00,000	—	9,68,00,000
06	आबकारी और कराधान	(राजस्व)	60,06,63,611	2,23,16,237	62,29,79,848
		(पूंजीगत)	1,17,47,000	3,25,87,000	4,43,34,000
07	पुलिस और सम्बद्ध संगठन	(राजस्व)	2,000	4,82,73,923	4,82,75,923
		(पूंजीगत)	6,76,24,000	—	6,76,24,000
08	शिक्षा	(राजस्व)	21,000	38,20,77,326	38,20,98,326
		(पूंजीगत)	83,32,08,000	1,24,84,891	84,56,92,891
09	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	(राजस्व)	2,23,38,40,000	2,32,22,000	2,25,70,62,000
		(पूंजीगत)	5,59,43,34,000	5,15,43,000	5,64,58,77,000

10	लोक निर्माण–सड़क, पुल तथा भवन	(राजस्व)	–	3,53,25,000	3,53,25,000
		(पूंजीगत)	10,69,71,69,000	65,54,06,500	11,35,25,75,500
11	कृषि	(राजस्व)	51,78,69,854	34,81,539	52,13,51,393
		(पूंजीगत)	11,43,00,000	–	11,43,00,000
12	उद्यान	(राजस्व)	63,86,41,295	47,95,039	64,34,36,334
13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई	(राजस्व)	4,87,94,57,064	1,57,65,767	4,89,52,22,831
		(पूंजीगत)	4,24,07,90,601	51,12,09,316	4,75,19,99,917
14	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	(राजस्व)	9,98,44,390	8,41,46,107	18,39,90,497
		(पूंजीगत)	16,95,01,000	–	16,95,01,000
15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	(राजस्व)	37,85,346	5,30,520	43,15,866
		(पूंजीगत)	1,89,12,31,000	–	1,89,12,31,000
16	वन और वन्य जीवन	(राजस्व)	9,000	94,54,701	94,63,701
		(पूंजीगत)	2,00,00,000	–	2,00,00,000
17	निर्वाचन	(राजस्व)	18,26,50,561	12,00,000	18,38,50,561
		(पूंजीगत)	2,24,09,000	–	2,24,09,000
18	उद्योग, खनिज, आपूर्ति और सूचना प्रौद्योगिकी	(राजस्व)	23,07,62,667	1,08,24,60,361	1,31,32,23,028
		(पूंजीगत)	15,73,83,000	48,93,355	16,22,76,355
19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	(राजस्व)	1,44,04,16,582	3,52,01,427	1,47,56,18,009
		(पूंजीगत)	1,09,50,69,843	–	1,09,50,69,843
20	ग्रामीण विकास	(राजस्व)	5,62,60,94,187	98,58,751	5,63,59,52,938
		(पूंजीगत)	2,27,00,000	–	2,27,00,000
21	सहकारिता	(राजस्व)	–	31,91,468	31,91,468
22	खाद्य और नागरिक आपूर्ति	(राजस्व)	29,68,04,953	10,54,584	29,78,59,537
23	विद्युत विकास	(राजस्व)	11,41,90,14,040	9,60,25,970	11,51,50,40,010
		(पूंजीगत)	30,42,75,60,000	–	30,42,75,60,000
24	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	(राजस्व)	67,73,056	47,491	68,20,547
25	सड़क और जल परिवहन	(राजस्व)	2,50,70,32,000	2,08,124	2,50,72,40,124
		(पूंजीगत)	96,89,00,000	–	96,89,00,000
26	पर्यटन और नागर विमानन	(राजस्व)	32,42,88,403	2,25,310	32,45,13,713
		(पूंजीगत)	96,34,39,348	–	96,34,39,348
27	श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण	(राजस्व)	8,85,94,750	74,26,392	9,60,21,142
		(पूंजीगत)	4,01,00,000	–	4,01,00,000
28	शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास	(राजस्व)	5,20,33,15,647	5,00,000	5,20,38,15,647
		(पूंजीगत)	90,00,00,000	–	90,00,00,000

29	वित्त	(राजस्व)	6,000	17,000	23,000
		(पूंजीगत)	16,27,500	2,61,98,45,52,000	2,61,98,61,79,500
30	विविध सामान्य सेवाएं	(राजस्व)	16,11,53,498	1,76,121	16,13,29,619
		(पूंजीगत)	1,18,33,43,000	—	1,18,33,43,000
31	जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	(राजस्व)	60,27,15,853	1,83,42,043	62,10,57,896
		(पूंजीगत)	16,19,59,400	11,33,157	16,30,92,557
32	अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम	(राजस्व)	4,60,11,87,448	5,25,000	4,60,17,12,448
		(पूंजीगत)	78,42,61,156	18,43,000	78,61,04,156
	जोड़	**(राजस्व)**	**76,71,87,36,738**	**2,04,91,19,508**	**78,76,78,56,246**
		(पूंजीगत)	**62,38,11,03,848**	**2,63,47,05,82,665**	**3,25,85,16,86,513**
		कुल जोड़	**1,39,09,98,40,586**	**2,65,51,97,02,173**	**4,04,61,95,42,759**

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के साथ पठित अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2025–2026 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुमानित व्ययों के सम्बन्ध में संचित निधि पर प्रभारित व्ययों और विधान सभा द्वारा यथा दत्तमत अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए अपेक्षित और धन के विनियोजन का उपबंध करने के लिए पुरःस्थापित है।

(सुखविन्द्र सिंह सुक्खू)
मुख्य मन्त्री।

————————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 1 of 2026.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION BILL, 2026

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Issue of a further sum of ₹4,04,61,95,42,759 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 2025-2026.
3. Appropriation.

THE SCHEDULE.

Bill No. 1 of 2026.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION BILL, 2026

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year ending on 31st day of March, 2026.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation Act, 2026.

2. Issue of a further sum of ₹4,04,61,95,42,759 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 2025- 2026.— From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of THE SCHEDULE amounting in the aggregate to a sum of ₹4,04,61,95,42,759 (Rupees forty thousand four hundred sixty one crore ninety five lakh forty two thousand seven hundred fifty nine) only towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 2025-2026 in respect of the services and purposes specified in column (2) of THE SCHEDULE.

3. Appropriation.—The sums authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be further appropriated for the services and purposes expressed in THE SCHEDULE in relation to the period specified under section 2 of this Act.

THE SCHEDULE

(*See* sections 2 and 3)

1	2		3		
Demand No.	**Services and purposes**		**Sums not exceeding**		
			Voted by the Legislative Assembly in ₹	Charged on the Consolidated Fund in ₹	Total in ₹
01	Vidhan Sabha	(Revenue)	10,61,94,000	1,50,61,337	12,12,55,337
		(Capital)	6,72,35,000	_	6,72,35,000
02	Governor and Council of Ministers	(Revenue)	5,93,60,717	1,48,09,000	7,41,69,717
03	Administration of Justice	(Revenue)	16,01,01,671	7,84,91,675	23,85,93,346
		(Capital)	19,83,44,000	11,23,30,446	31,06,74,446
04	General Administration	(Revenue)	37,71,39,823	2,63,83,731	40,35,23,554
		(Capital)	1,65,00,68,000	10,26,00,000	1,75,26,68,000

05	Land Revenue and District Administration	(Revenue)	34,35,09,97,322	2,85,25,564	34,37,95,22,886
		(Capital)	9,68,00,000	_	9,68,00,000
06	Excise and Taxation	(Revenue)	60,06,63,611	2,23,16,237	62,29,79,848
		(Capital)	1,17,47,000	3,25,87,000	4,43,34,000
07	Police and Allied Organisations	(Revenue)	2,000	4,82,73,923	4,82,75,923
		(Capital)	6,76,24,000	_	6,76,24,000
08	Education	(Revenue)	21,000	38,20,77,326	38,20,98,326
		(Capital)	83,32,08,000	1,24,84,891	84,56,92,891
09	Health and Family Welfare	(Revenue)	2,23,38,40,000	2,32,22,000	2,25,70,62,000
		(Capital)	5,59,43,34,000	5,15,43,000	5,64,58,77,000
10	Public Works-Roads, Bridges and Buildings	(Revenue)	_	3,53,25,000	3,53,25,000
		(Capital)	10,69,71,69,000	65,54,06,500	11,35,25,75,500
11	Agriculture	(Revenue)	51,78,69,854	34,81,539	52,13,51,393
		(Capital)	11,43,00,000	_	11,43,00,000
12	Horticulture	(Revenue)	63,86,41,295	47,95,039	64,34,36,334
13	Irrigation, Water Supply and Sanitation	(Revenue)	4,87,94,57,064	1,57,65,767	4,89,52,22,831
		(Capital)	4,24,07,90,601	51,12,09,316	4,75,19,99,917
14	Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries	(Revenue)	9,98,44,390	8,41,46,107	18,39,90,497
		(Capital)	16,95,01,000	_	16,95,01,000
15	Planning and Backward Area Development Programme	(Revenue)	37,85,346	5,30,520	43,15,866
		(Capital)	1,89,12,31,000	_	1,89,12,31,000
16	Forest and Wild Life	(Revenue)	9,000	94,54,701	94,63,701
		(Capital)	2,00,00,000	_	2,00,00,000
17	Election	(Revenue)	18,26,50,561	12,00,000	18,38,50,561
		(Capital)	2,24,09,000	_	2,24,09,000
18	Industries, Minerals, Supplies and Information Technology	(Revenue)	23,07,62,667	1,08,24,60,361	1,31,32,23,028
		(Capital)	15,73,83,000	48,93,355	16,22,76,355
19	Social Justice and Empowerment	(Revenue)	1,44,04,16,582	3,52,01,427	1,47,56,18,009
		(Capital)	1,09,50,69,843	_	1,09,50,69,843
20	Rural Development	(Revenue)	5,62,60,94,187	98,58,751	5,63,59,52,938
		(Capital)	2,27,00,000	_	2,27,00,000
21	Co-operation	(Revenue)	_	31,91,468	31,91,468

22	Food and Civil Supplies	(Revenue)	29,68,04,953	10,54,584	29,78,59,537
23	Power Development	(Revenue) (Capital)	11,41,90,14,040 30,42,75,60,000	9,60,25,970 _	11,51,50,40,010 30,42,75,60,000
24	Printing and Stationery	(Revenue)	67,73,056	47,491	68,20,547
25	Road and Water Transport	(Revenue) (Capital)	2,50,70,32,000 96,89,00,000	2,08,124 _	2,50,72,40,124 96,89,00,000
26	Tourism and Civil Aviation	(Revenue) (Capital)	32,42,88,403 96,34,39,348	2,25,310 _	32,45,13,713 96,34,39,348
27	Labour, Employment and Training	(Revenue) (Capital)	8,85,94,750 4,01,00,000	74,26,392 _	9,60,21,142 4,01,00,000
28	Urban Development, Town and Country Planning and Housing	(Revenue) (Capital)	5,20,33,15,647 90,00,00,000	5,00,000 _	5,20,38,15,647 90,00,00,000
29	Finance	(Revenue) (Capital)	6,000 16,27,500	17,000 2,61,98,45,52,000	23,000 2,61,98,61,79,500
30	Miscellaneous General Services	(Revenue) (Capital)	16,11,53,498 1,18,33,43,000	1,76,121 _	16,13,29,619 1,18,33,43,000
31	Tribal Area Development Programme	(Revenue) (Capital)	60,27,15,853 16,19,59,400	1,83,42,043 11,33,157	62,10,57,896 16,30,92,557
32	Scheduled Castes Development Programme	(Revenue) (Capital)	4,60,11,87,448 78,42,61,156	5,25,000 18,43,000	4,60,17,12,448 78,61,04,156
	Total	**(Revenue)**	**76,71,87,36,738**	**2,04,91,19,508**	**78,76,78,56,246**
		(Capital)	**62,38,11,03,848**	**2,63,47,05,82,665**	**3,25,85,16,86,513**
		Grand Total	**1,39,09,98,40,586**	**2,65,51,97,02,173**	**4,04,61,95,42,759**

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of article 204 read with article 205 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys further required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and other expenditure as voted by the Legislative Assembly in respect of the estimated expenditure of the Government of Himachal Pradesh for the financial year 2025-2026.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट https://rajpatra.hp.gov.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।